बातचीत के बिंदु-09

मजदूर –किसान संघर्ष रैली

सीटू-अखिल भारतीय किसान सभा-अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन

5 सितम्बर 2018

संसद के समक्ष

श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा

हम सभी श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा चाहते हैं, अर्थात, सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, जहां भी वे काम कर रहे हों। आज श्रमिकों का एक बहुत ही छोटा वर्ग, मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र में केवल भविष्यनिधि, ईएसआई, चिकित्सा लाभ, मातृत्व लाभ, दुर्घटना मुआवजे, ग्रैच्युइटी, पेंशन इत्यादि जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों द्वारा कवर किया जाता है।सरकारों द्वारा प्रोत्साहित, मंद प्रवर्तन तंत्र को देखते हुए, संगठित क्षेत्र में श्रमिकों का पचास प्रतिशत, खासतौर से अनुबंध श्रमिक भी उनके वैध सामाजिक सुरक्षा लाभ से वंचित हैं, देश के सकल घरेलू उत्पाद का 60% से अधिक योगदान देने के बावजूद, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है।

बीड़ी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, खान श्रमिकों, सिने श्रमिकों जैसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कुछ हिस्सों निश्चित रूप से कुछ सामाजिक सुरक्षा लाभों के हकदार हैं। लेकिन इन योजनाओं के लिए प्रभावी प्रवर्तन मशीनरी की कुल अनुपस्थिति के कारण इन श्रमिकों में से 30% भी शामिल नहीं हैं, या तो केंद्रीय स्तर पर या राज्यों में नियोक्ता के लिए 'व्यवसाय करने में आसानी' सुनिश्चित करना नवउदार नीतियां की प्राथमिकता बन गया है।

वर्तमान में मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार का यह सरकारी नीति का निर्धारण कारक प्रतीत होता है। श्रम कानूनों का प्रवर्तन ऐसी नीति का igyh दुर्घटना है। पिछले डेढ़ दशक के दौरान, निर्माण श्रमिकों के कल्याण योजना के लिए से सके माध्यम से एकत्रित धन का शायद ही 25% निर्माण श्रमिकों को लाभ प्रदान करने पर खर्च किया गया था। बीड़ी श्रमिकों और अन्यों से संबंधित स्थिति बहुत अलग नहीं है। बीजेपी के नेतृत्व वाले सरकार के विज्ञापन बताते हैं कि वे रिक्शा खींचने वालों और घरेलू श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों को समाजिक सुरक्षा देने जा रहा है। लेकिन क्या कवर? कोई उत्तर नहीं है। कोई विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा योजना प्रस्तावित नहीं है कि कौन वास्तव में कवर किया जाएगा ? श्रमिकों को कवर करने के लिए प्रतिष्ठानों को पंजीकृत करना होगा। श्रमिकों की संख्या सरकार द्वारा तय की जाएगी। सीमा क्या होगी? इस बीजेपी सरकार ने कारखानों अधिनियम के तहत श्रमिकों की संख्या की सीमा 40 तय की है। इसका मतलब है कि फैक्ट्री अधिनियम द्वारा कवर किए जा रहे कारखाने के 72% सेअधिक कारखाने को अब बाहर निकाला जाएगा। क्या 40 से कम

श्रमिकों के साथ कारखाने सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत पंजीकरण के लिए योग्य होंगे? क्या इन प्रतिष्ठानों के मजदूर इस संहिता के तहत जो भी लाभ प्रदान किए जाएंगे, उनके लिए पात्र होंगे? कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। सरकार श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए एक पैसा नहीं दे रही है। (हज़ारों करोड़ों रुपए अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिये प्रचार और कॉर्पोरेट मीडिया के मालिकों को लाभ पहुंचाने के अलावा) असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए अपनी मजदूरी का 12.5% की दर से योगदान देना होगा।यदि नियोक्ता dh पहचान नहीं हैं, तो श्रमिकों को स्वयं नियोजित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें अपनी कमाई का 20% योगदान करना होगा।

15 मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कानून-

* कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम।

*कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम।

*कर्मचारी मुआवजा अधिनियम।

*मातृत्व लाभ अधिनियम।

*ग्रैच्युइटी भुगतान अधिनियम।

*असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम।

*भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम।

*बीड़ी श्रमिक कल्याण सेस अधिनियम।

* बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम।

*लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण सेस एक्ट।

* लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान कल्याण निधि अधिनियम।

*माइकाखान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम।

*लाइमस्टोन और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण कोष अधिनियम।

*सिने श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम।

*सिने वर्कर्स कल्याण कोष अधिनियम - सामाजिक सुरक्षा पर इस संहिता में शामिल हैं।

मौजूदा फंड जैसे ईपीएफ, ईएसएल, सीएमपीएफ, बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण निधि आदि के साथ पूरे 12 लाख करोड़ रुपये की राशि साथहीअसंगठित श्रमिकों और स्वयं नियोजित लोगों से एकत्र की जाने वाली बड़ी राशि प्रधान मंत्री द्वारा की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा परिषद में निपटारे केलिये रखी जाएगी। राष्ट्रीय सामाजिकसुरक्षा परिषद की सलाह देने के लिए एक सलाहकार बोर्ड होगा। लेकिन यहत्रिपक्षीय नहीं होगा।

यह जानबूझकर ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधित्व को कमजोर करने के लिए कियागया है। इसके बाद वित्त पूंजी लॉबी की जरूरतों को पूरा करने के लिए शेयर बाजार मेंउपलब्ध कराया जाएगा।

लेकिन कानूनों के अनुसार 15 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में निहित पूरे फंड को हथियानेके बावजूद सामाजिक सुरक्षा संहिता ने सामाजिक सुरक्षा लाभ पर कुछ भी निर्दिष्ट नहीं किया है किश्रमिकों को क्यामिलेगा। यह नियमों के माध्यम सेअफसर शाही द्वारा तय की जा सकती है,जब सामाजिक सुरक्षा संहिता पर कानून सरकारद्वारासंसद में पारित किया जाएगा लेकिन,पूरे अभ्यास के शुद्ध परिणाम यह भी होंगे कि ईपीएफ, ईएसआई, निर्माण श्रमिक कल्याण योजना,बीड़ी श्रमिक कल्याण योजना तहतसंबंधित संगठनों के माध्यम से उपलब्धगारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा लाभभी ध्वस्त हो जाएगी। सरकार द्वारा प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा संहिताउन लाभों की निरंतरता सुनिश्चित नहीं करती है - यहसुनियोजितधोखाधड़ी है।

सोशल सिक्योरिटी कोड एक सामाजिक सुरक्षा या बहुत बडा धोखा है?

याद रखें, पूर्व यूपीए सरकार ने 200 9 में असंगठित श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को अधिनियमित किया था। उस अधिनियम के तहत न तो यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान और नही वर्तमान भाजपा के नेतृत्व में मोदी सरकार द्वारा कोई नया सामाजिक सुरक्षा लाभ तैयार किया गया, न तो इस अधिनियम के तहत या तो यूपीए सरकार या वर्तमान बीजेपी सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए कोई धन आवंटित किया गया। केवल पहले से ही मौजूद सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, उनमें से जो अधिकतर बीपीएल लोगों के लिए था , असंगठित श्रमिकों के लिए लागू की गई थीं। वर्तमान सरकार ने अधिनियम के तहत गठित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड भी पूरी तरह से गैर कार्यात्मक बना दिया। कुछ पुरानी योजनाओं को बंद कर दिया गया और नए नामों के साथ लॉन्च किया गया। सामाजिक कल्याण व्यय को कम करना और बड़े निगमों, बड़े व्यापार और वित्त पूंजी का तुष्टिकरण कर नानवउदार नीतियों का केंद्र है। मोदी के नेतृत्व में यह बीजेपी सरकार अपने कॉर्पोरेट मालिकों की तुष्टिकरण और लोगों को धोखा देने के लिए धोखाधड़ी के किसी भी स्तर पर उतर सकती है। सोशल सिक्योरिटी कोड उस दिशा में एक प्रयास है।

वास्तव में क्या आवश्यक है?

अगर सरकार सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने में वास्तव में गंभीर है, तो इसे-

*संबंधित कानूनों के तहत मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सुदृढ़ करना होगा एवं उनके प्रभावशील कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय करें।

* संबंधित कानूनों के तहत सभी हकदार श्रमिकों को कवरेज बढ़ाएं। आज ईपीएफ और ईएसआई जैसे अन्य 13 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं इन लाभों के कानूनी रूप से हकदार श्रमिकों का 50% भी कवर नहीं करती हैं।

*नामांकन के लिये टोकन योगदान राशि के साथ सभी अन्य श्रमिकों और किसानों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व और दुर्घटना सुरक्षा, पेंशन, तथा बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सरकारी वित्त पोषित व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना स्थापित करें।

हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं। सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए नीतियों को तैयार करने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, न कि कॉर्पोरेट-बिजनेस गठबंधन का।

5 सितंबर को संसद के सामने मजदूर किसान la?k'kZ रैली dh मुख्यमांग सभी कामकाजी लोगों के लिए प्रभावी सामाजिक सुरक्षा मांगना है, तथाभाजपा की नेतृत्व वाली मोदी सरकार को चेतावनी देना हैकिमौजूदा और कार्यात्मक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कानूनों को खत्म करने के उद्देश्य वाली नीतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें ऐसी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ना होगा जो 99.9% के बजाए 0.1% के लिए ही काम करते हैं और नीतियाँ बनाते है।